रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092025-266263
CG-DL-E-20092025-266263

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 637] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947
No. 637] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर 2025

फा. सं. पीएनजीआरबी/वाणिज्यिक/7-विविध(5)/2025(ई-5734)/02.— पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ**

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए इकाइयों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में—

(क) विनियम 2, खंड (1), उपखंड (जे) में "परफॉर्मेंस बॉन्ड" की परिभाषा इस प्रकार जोड़ी जाएगी:-

"परफॉर्मेंस बॉन्ड" में, जैसा भी मामला हो, भारत के किसी भी अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट, भुगतान आदेश (पे ऑर्डर) या बैंक गारंटी अथवा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा लाइसेंस/सूचित बीमा कंपनियों से बीमा ज़मानत बांड (बीमा श्योरिटी बॉन्ड) शामिल होगा, जिसकी राशि विनियम में निर्दिष्ट है।"

3. विनियम 8, खंड (1) में "स्पष्टीकरण" शब्द के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा:

"बीमा ज़मानत बांड (बीमा श्योरिटी बॉन्ड) के माध्यम से के रूप में परफॉर्मेंस बॉन्ड विनियम में निर्दिष्ट राशि के अधिकतम 50% तक स्वीकार किए जाएंगे तथा शेष 50% अन्य साधनों के माध्यम से, जैसा कि विनियम 2(1)(j) की परिभाषा में उल्लेखित है, स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि, इकाई, संबंधित विनियम में निर्दिष्ट मूल्य के 100% तक बैंक गारंटी/डीडी/पे ऑर्डर के रूप में परफॉर्मेंस सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है।"

4. विनियम 17, खंड (3), उपखंड (ख) में "या बैंक गारंटी" शब्द हटा दिए जाएंगे।

5. विनियम 17, खंड (3) में उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित प्रावधानों को जोड़ा जाएगा:

"बशर्ते कि परफॉर्मेंस बॉन्ड को भुनाने के मामले में, सबसे पहले बैंक गारंटी भुनाई जाएगी, उसके पश्चात् बीमा ज़मानत बांड (बीमा श्योरिटी बॉन्ड) और अन्य लिखतों को भुनाया जाएगा, जैसा भी मामला हों।

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./370/2025-26]

पाद टिप्पणी:

मुख्य विनियमों को दिनांक 6.05.2008 को फा. सं. जी.एस.आर.340(ई) द्वारा अधिसूचित किया गया और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया:

1. जी.एस.आर.802(ई), दिनांक 19.11.2002,
2. जी.एस.आर. 769(ई), दिनांक 20.10.2009,
3. जी.एस.आर. 38(ई), दिनांक 18.01.2010,
4. जी.एस.आर. 480(ई), दिनांक 07.06.2010,
5. जी.एस.आर. 594(ई), दिनांक 9 जुलाई 2010,
6. एफ. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48 दिनांक 17 फरवरी 2014, एफ. सं. पीएनजीआरबी/एनजीपीएल/विनियम/संशोधन-2014, दिनांक 8.8.2014
7. एफ. सं. एल-विविध/VI/I/2007, दिनांक 1.1.2015,
8. एफ. सं. पीएनजीआरबी/एनजीपीएल/विनियम/संशोधन-2015, दिनांक 22.05.2015,
9. एफ. सं. वीकेएस/डीबी/03/एनजीपीएल, दिनांक 29.03.2016
10. एफ. सं. पीएनजीआरबी/प्राधिकरण/2-एनजीपीएल (08)/2022 दिनांक 17.11.2022.

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2025

F. No. PNGRB/Comm/7Misc (5)/2025 (E-5734)/02.—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) amendment Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008-

(a) In regulation 2, clause (1), sub clause (j), defining Performance Bond shall be inserted:

"The Performance Bond, as the case may be, shall include Demand Draft or Pay Order or Bank Guarantee from any scheduled bank of India or Insurance Surety Bond from Insurance Companies Licensed / authorized by Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) for the amount as specified in the regulation".

3. In Regulation 8, clause (1), after the word "Explanation" , the following words shall be inserted :-

"The performance Bond by way of Insurance Surety Bonds will be accepted to the extent of maximum upto 50% of the amount as specified in the regulation and balance 50% will be accepted by way of any of other instruments as mentioned in the definition of Performance Bond at regulation 2 (1) (j)". However, Entity is free to provide the performance security by way of Bank Guarantee/DD/Pay Order to the extent of 100% of the value as stipulated in the respective regulation.

4. In regulation 17, clause 3, sub clause (b), the word "or bank guarantee" shall be deleted.

5. In regulation 17, clause (3), after sub clause (b), the following proviso shall be inserted:

"Provided that in case of encashment of performance Bond, firstly Bank Guarantee will be encashed followed by Insurance Surety Bond and other instruments, as the case may be."

ANJAN KUMAR MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./370/2025-26]

Foot Note

Principal regulations were notified *vide* No.G.S.R.340(E), dated 6.05.2008 and subsequently amended vide

i. G.S.R.802(E), dated 19.11.2002,
ii. G.S.R. 769(E), dated 20.10.2009,
iii. G.S.R. 38(E), dated 18.01.2010,
iv. G.S.R. 480 (E), dated 07.06.2010,
v. G.S.R. 594(E) dated 9th July 2010,
vi. F. No. PNGRB/M(C)/48 dated 17th February 2014, F. No. PNGRB/NGPL/REGULATIONS/AMEND-2014, dated 8.8.2014.
vii. F. No. L-MISC/VI/I/2007, dated 1.1.2015,
viii. F. No. PNGRB/NGPL/REGULATIONS /AMEND-2015, dated 22.05.2015,
ix. F. No. VKS/DB/03/NGPL, dated 29.03.2016.
x. F. No. PNGRB/Auth/2-NGPL (08)/2022 dated 17.11.2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.20 11:12:23 +05'30'